



डाक पंजीयन क्र. 173/15-17

5 मेर्सी 14 साल बाद भारत में फ्रेंडली मैच खेलेंगे

वर्ष 11 अंक 301 E-mail: dholpur@hotmail.com

सम्पादकीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर...

फरीदाबाद, शुक्रवार 28 मार्च 2025

हुन रिच लिस्ट : मुकेश अंबानी देश में 5

मूल्य 2.00 रुपया, पृष्ठ 8

राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे

यूकेन वॉर के बाद पहली भारत यात्रा, रूसी विदेश मंत्री बोने-तैयारिया की जा रही।

आर.एन.एस

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। रूसी विदेश मंत्री संगी लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह यात्रा किस महीने या तारीख को हो सकती है।

लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नंदेंगे ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की है। अब हमारी बारी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर



पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण

स्वीकार कर लिया है।

रूसी विदेश मंत्री ने यह बयान

किया। आखिरी बार 2021 में भारत

आए थे पुतिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने

06 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा

की थी। वह सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर (2 लाख 53 हजार करोड़ रुपए) सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था।

फरवरी 2022 में यूकेन वॉर शुरू होने पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए अधिक रोडमैप को 2030 अरब डॉलर का द्विपक्षीय

भारत और रूस अपने बाइलेट्रन ट्रेड को दोगुना करके सालाना 100

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने

द्वितीय डॉलर से ज्यादा करने पर सहमत

हुई है। मिलिट्री दोनों देशों के बीच

कीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय

व्यापार है।

भारत और रूस की आयोजन रूसी

स्वीकार कर लिया है।

रूसी विदेश मंत्री ने यह बयान

किया। आखिरी बार 2021 में भारत

आए थे पुतिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने

06 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा

हो गई।

पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण

हो गया। इस बैठक का आयोजन रूसी

स्वीकार कर लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने

व्यापार और भारत-एक नए अधिक

द्विपक्षीय

समझौते पर हांसा हो गया।

पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण

हो गया।

पुतिन

संपादकीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकट किया खेद, न्यायाधीश की टिप्पणियों को बताया असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण



कई बार अदालतों के सामने कुछ मामलों में कानून के बाराक बिदुओं का व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कई मामलों नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेश आई होगी। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसला को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते वक्त अदालतों से घटना, तथ्यों और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिंग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण है। अदालत ने इस संबंध में फैसला दिया कि संबंधित लड़की के साथ जो किया गया, उसे बलाकार नहीं कहा जा सकता। उचित ही, स्वतं संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण वाला बताया है। यह बात किसी को गले नहीं उतर पा रही कि जब पाक्सों कानून में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हरकतों को आपाराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश का न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में तो उन्हें धूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपाराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया? यह ठीक है कि कई बार अदालतों के सामने कुछ मामलों में कानून के बारीक बिटुओं की व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कई मामला नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेश आई होगी। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिलाओं के समान और गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तलकालीन प्रधान न्यायाधीश ने कुछ शब्दों को महिला समान के विरुद्ध मानते हुए उनकी जगह समानजनक शब्द सुझाए थे। कुछ अशोभन कहे जाने वाले शब्द, जो प्राय-महिलाओं से जुड़े मामलों में लंबे समय से अदालतों में प्रयुक्त होते आ रहे थे, उन्हें बदल दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों की सूची बना कर देश की सभी अदालतों में प्रसारित किया था। इसके बावजूद अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश ने महिला अस्मिता से जुड़े अहम पक्षों को सरसरी ढांग से देखेने का प्रयास किया, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में पाक्सों और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि इससे किसी को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखेने की छूट मिल जाती है। पहले ही महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतें दर्ज करने को लेकर चुप्पी साध जाने या कदम वापस खींच लेने को लेकर चिंता जताई जाती रही है। फिर, जांच में पूर्वाग्रह, दबाव, साठांग आदि के चलते पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण दोष सिद्धी की दर बहुत कम रहना भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर अदालतें खुद अपने फैसलों में संकृचित दृष्टिकोण दिखाएंगी, तो ऐसे मामलों पर लगाम लगने का भरोसा भला कैसे बन सकेगा।

हमें शहरी नियोजन में इन्हीं तीन सारों का समावेश करना होगा। भागत

शहरी विकास का सही तरीका, अर्बन प्लानिंग के लिए ठोस प्रयास आवश्यक

दिशा देने की क्षमता के धनी हों। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नज़रिये से देखना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही प्लानिंग एजुकेशन का रूपान्तरण भी जरूरी है। अब हमें प्लानिंग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के व्यापक परिदृश्य बाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस दिशा में परिणाम आधारित शिक्षा की पहल उयणी होगी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कुछ इस तरह निर्धारित करना होगा कि वह रोजगार बाजार की तेजी से बढ़ती मांग के अनुरूप हो। उससे ऐसे स्नातक निकलें, जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही लैस न हों, बल्कि उनके पास तकनीकी, विश्लेषणात्मक और संचाद के ऐसे कौशल होंं जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जूँझ सकें। इसके साथ ही उनमें नीतियों के विश्लेषण की क्षमता हो और वे सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की बारीकियों को समझते हों। प्लानिंग एजुकेशन को समाजशास्त्री आर्थिकी, पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों के समझ और उन्हें समग्र रूप से अपनाने का पहलू पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शहरी प्रबंधन, शहरी वित्त परियोजना विकास, नीति नियोजन तथा विश्लेषण जैसे विषय आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए बेहद आवश्यक हैं। संस्थानों को अस्थायी शिक्षकों वे बजाय प्रतिबद्ध और पूर्णाकलिक शिक्षकों में निवेश करना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन, समस्याओं से निपटने के लिए शहरों की क्षमता

अच्छा उदाहरण है। हम डाक्टरों को नियन्तक तक जीवन की रक्षा करने की महती और अपने जेम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।

उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में लगभग दस साल लगते हैं। इसके बाद डिग्री वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर अर्बन लानर हैं, जिन पर पूरे समुदाय के युगम एवं सुखद जीवन का जिम्मा लिया है। क्या उन्हें तैयार करने के लिए केवल दो साल काफ़ी हैं? मेडिकल शिक्षा की तरह अर्बन प्लानिंग को भी नात्र एक डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें प्लानरों को लगातार विशेषज्ञता की प्रक्रिया से गुजाराना होगा। अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता के कोर्स लिये चाहिए। इसी से हमारे प्लानर नवाचार और टिकाऊ शहरी विकास की अगणी पक्कि में रहेंगे। शहरी

गोजन के इस नए युग में जोर नीकी विशेषज्ञता पर होना चाहिए। विधि लेने की प्रभावशाली प्रक्रिया समन्वय के लिए साप्ट स्किल्स विकास जरूरी है। इसमें संवाद का तत्व बढ़ जाता है। कार्ट्रैट मैनेजमेंट और खरीद के मामलों में इसकी विधिक जरूरत होती है। अबन निणंग को गंभीर और समर्पित पेशे के लिए में स्थापित करने के लिए विधिक संस्थानों, पेशेवर सम्बोहों और इंस्टीट्यूट्स सभी की ओर से ठोस अवाश्यक हैं।

निरंतर सीखने की संस्कृति, विशेषज्ञता और जरूरी साप्ट स्किल साथ प्लानिंग एजुकेशन ऐसे पेशेवर आर कर सकती है, जो शहरी विकास बहुआयामी चुनौतियों का सामना सकें। शहरी नियोजन के प्रति ऐसा क्रोध न केवल आज की जमानतों

सांसदों का आचरण, लोकसभा अध्यक्ष को बार-बार देनी पड़ रही नसीहत

लोकसभा अध्यक्ष
को एक बार फिर
सदन में सांसदों के
आचरण पर नसीहत
देनी पड़ी। इस बार यह
नसीहत राहुल गांधी

के संदर्भ में देनी पड़ी।
लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला ने राहुल
गांधी की ओर संकेत
करते हुए उनसे सदन
की गरिमा बनाए
रखने को कहा।
उनकी टिप्पणी से यह
तो स्पष्ट नहीं हुआ कि
वह उनकी किसकी
गतिविधि को
रेखांकित कर रहे थे।

गत दिवस लोकसभा अध्यक्ष की



नस्ल और रंग के
आधार पर भेदभाव
पूरी दुनिया में चिंता
का निषय है।

भारतीय समाज भी
इससे मुक्त नहीं है।
सादियों से इस तरह
के भेदभाव में
महिलाएं कुछ ज्यादा
ही निशाने पर होती
आई हैं। दुख की बात
है कि न केवल
शिक्षित लड़कियां,
बल्कि बड़े ओहदे पर
आसीन महिलाएं भी
इससे बच नहीं पाई
हैं।

आज के दौर में रंग-भेद का लोग हो रहे शिकार, शारदा मुरलीधरन पर की गई अभद्र टिप्पणी इसका जीता जागता प्रमाण

A portrait of Meira Kumar, a woman with dark hair and glasses, wearing a white sari with a green border. She is seated in a red leather chair, smiling at the camera. A small black microphone is positioned in front of her. The background is a plain, light-colored wall.

The image shows a large-scale spiritual gathering or assembly. A massive crowd of people, mostly men, is seated on the floor in rows, facing a central stage area. The stage is visible in the background, featuring a large white cloth and some ceremonial objects. The lighting is bright, illuminating the faces of the attendees. The overall scene conveys a sense of a major religious or spiritual event.

हर एक महिला को अपने सपने साकार करने का स्वर्णम समय: भोपाल महापौर मालती राय

कलचुरी होली मिलन व नारीशक्ति सम्मान समारोह में भजन व फूलों की होली ने बांधा समां



-हिन्दुस्तान एक्सप्रेस न्यूज-
ग्वालियर। भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय ने कलचुरी महिला मंडल ग्वालियर द्वारा आयोजित होली मिलन एवं नारीशक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अधिकारी की असंदी से कहा कि हर एक महिला को अपने-अपने सपने साकार करना चाहिए और अपने सपने को पाने के लिए जी जान से मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अब समय स्वर्ण युग का समय है और साथ ही खुशी की बात है कि अब महिला व पुरुष में भेदभाव खत्म भी हो रहा है।



महापौर श्रीमती राय ने समाज बंधुओं और बहनों को होली मिलन समारोह की शुभकामनाएं दीं, वहीं फूलों की होली में भग लेकर उहोंने वाहानी लौटी। श्रीमती आदि ने भी विचार व्यक्त कर सभी को होली की शुभकामनाएं दीं। संभागीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता, सरकार आशा शिवहरे, पंचमी ल्योग्न सिक्खराव ने कहा कि होली व रंग अपने बुजु़गों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि एक कार्यक्रम में गश्तीय अध्यक्ष से आवीं श्रीमती आदर्श नारायिका भी बन सके।

कार्यक्रम में गश्तीय अध्यक्ष द्विती से आवीं श्रीमती समारोह एवं द्विती से आए रासलीला मंडली के पूनम चौधरी ने कहा कि इस तह के कार्यक्रम एक मंडल द्वारा जीवाजी कलब में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती पुष्पलता पावनी करना सिखाते हैं।

विशेष अधिकारी पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता ने जयसवाल अभा हैय कलचुरी महासभा राष्ट्रीय


श्रमिकों को संबल दे रही मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वाया

**23 हजार 162 परिवारों को
₹ 505 करोड़ की अनुग्रह राशि का
अंतरण**

28 मार्च, 2025 | दोपहर 2:30 बजे
मंत्रालय, भोपाल



लेन्ड जोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

संबल योजना में

गिर्ग वर्कर्स भी शामिल

- संबल योजना में 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक भाइ-बहन पंजीयन करा चुके हैं।
- अब तक कुल 6 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि ₹ 5927 करोड़ से अधिक का हितलाभ वितरण किया गया है।
- पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मूल्य पर ₹ 2 लाख, दुर्घटना मूल्य पर ₹ 4 लाख की अनुग्रह सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक की स्थायी अपेक्षा पर ₹ 2 लाख, अंशिक स्थाई अपेक्षा पर ₹ 1 लाख की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्य की मूल्य होने पर ₹ 5 हजार की अंत्येष्टी सहायता।
- सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत नियम योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिह्नित किया गया है।
- संबल हितग्राहियों को रियायती दरों पर राशन की सुविधा।
- संबल हितग्राहियों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महाविद्यालय (मैडिकल, विधि, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक आदि) में शिक्षा हेतु सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा बहन किया जाता है।
- पंजीकृत महिला श्रमिक व पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रसंस्कृति सहायता योजना अंतर्गत कुल ₹ 16 हजार की राशि की सहायता।